न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 116/2019 (2019/00234) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. लेहरूलाल पिता प्यारा माली निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पिता जवाहरमल जाट, निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. गोवर्धनलाल पिता परथा माली, निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. नारायणलाल पिता परथा माली, निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. बद्रीलाल पिता पन्नालाल जाट, निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. गणेशलाल पिता पन्नालाल जाट, निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. रामचन्द्र पिता पन्नलाल जाट, निवासी माझावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 29/11/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम माझावास पटवार हल्का माझावास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1034 रकबा 0.24हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 578 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 06 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम माझावास पटवार हल्का माझावास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1034 रकबा 0.24हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लि**[illegible] बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा कर[illegible]तथा [illegible]रगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/– (चार सौ पच्चास रूपये मा[illegible] की मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गं[illegible]

निर्णय आज दिनांक 29/11/2019 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:09:42 IST
Reason: Self Attested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner